SPEED POST

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6^{TH} Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

सं० आर – 10/एटोमिकएनर्जी/1/2006/एसटी/एसएसडब्ल्यू/आर.यू.-III

दिनांक : 3/12/2013

सेवा में,

सचिव,
परमाणु ऊर्जा विभाग,
अनुशक्ति भवन,
सीएसएम मार्ग,
मुम्बई-400001

विषय: परमाणु ऊर्जा विभाग में एएमआईई अतिरिक्त योग्यता आधार पर वैज्ञानिक सहायक से वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड पर पदोन्नति के लिए रियायत एवं आरक्षण के संबंध में श्री एन.एल. मीणा वैज्ञानिक सहायक (डी), हेवी वाटर प्लांट, परमाणु ऊर्जा विभाग, रावतभाटा, कोटा, राजस्थान का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 03-10-2013 के द्वारा मामले में दिनांक 11-09-2013 को आयोग में हुई बैठक/चर्चा की कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न कर अग्रेषित की गयी थी।

इस संबंध में चर्चा दौरान "अतिरिक्त सचिव के ध्यान में लाया गया कि वर्ष 2003 से वर्ष 2008 तक पदोन्नति के लिए दावेदारी में श्री मीणा का नाम शामिल न करने के क्या कारण थे जबकि उसके पास डिप्लोमा के साथ--साथ डिग्री की योग्यता थी। आयोग ने पाया कि विभाग द्वारा राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन के वर्ष 2004 में 10 वैज्ञानिक सहायकों को वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड के लिए पदोन्नत किया गया जिन्होंने एएमआईए परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये थे। दूसरी ओर हेवी वाटर प्लांट कोटा के 3 वैज्ञानिक सहायकों को वर्ष 2007 में, को वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड के लिए पदोन्नत किया गया जो कि केवल डिप्लोमा धारी थे, किन्तु विभाग द्वारा वर्ष 2004 से अब तक उनको वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड के लिए पदोन्नति नहीं दी जा रही है जबकि उसके पास डिप्लोमा एवं डिग्री की योग्यता थी तथा विभाग द्वारा वर्ष 2004 में पदोन्नति हेतु डीपीसी में अर्हताएं होने पर भी उनके नाम को शामिल नहीं किया गया।"

बैठक/चर्चा के कार्यवृत्त पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को 20 दिनों की अवधि में भेजने के लिए आपको अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक आपके विभाग की की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरू लाल मीणा ने इस प्रकरण पर चर्चा के लिए दिनांक 18-12-2013 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर बैठक निश्चित की है।

3/12/13

→ 2 –

आपसे अनुरोध किया जाता है कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को आयोग के माननीय सदस्य के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें। सलाह दी जाती है कि इस संबंध में अभ्यावेदक श्री एन.एल. मीणा को भी उक्त तिथि को आयोग में उपस्थित होने के लिए कहा जाए।

भवदीय,

(एस.पी. मीना)
सहायक निदेशक

प्रति कार्रवाई की प्रति सहित

1. श्री एन.एल.मीणा, मकान नं. 31/185, हेवी वाटर प्लांट कॉलोनी, पोस्ट-भाभा नगर, रावतभाटा, वाया--कोटा, राजस्थान–323307

(एस.पी. मीना)
सहायक निदेशक

प्रति सूचनार्थ :-

(1) PS to Member (BLM)
(2) SSA (NIC)

10/XI/17